भारतसरकारGOVERNMENT OF INDIA
रेलमंत्रालयMINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्डRAILWAY BOARD)

RBA No. 39/2021
GST Circular No. 22/2021

GST Matter/Most Immediate

No. 2018/AC-II/1/57

Dated 03rdAugust 2021

Principal Financial Advisers
All Zonal Railways and Production Units

Sub: Reconciliation of expenditure incurred vis-à-vis details shared with IRFC under EBR(S)and EBR(IF) and other connected issues.

Ref: (1) RBA No. 003/2021/GST Circular No. 002/2021 dated 15th January 2021
(2) RBA No. 2/2021 dated 05th January 2021

Railway Board vide captioned circulars ibid had *inter alia* highlighted about the one-time arrangement of new fund source i.e. EBR(S) introduced to finance Capital Expenditure of the Railways along with accounting process thereof. This arrangement was in addition to the other existing modes of financing i.e, EBR-Bulk Order and EBR-IF. Railways were required to forward the invoices duly carrying these details to IRFC.

In this regard IRFC has indicated that there is huge gap between expenditure booked under EBR funds as provided by IRFC and the invoices as received from Railways/vendors. Consequently, all invoices required to be raised are not getting reflected in GSTR-2A of IRFC. In this regard the following discrepancy need to be resolved immediately by Zonal Railway/ Production Units: -

(a) **Reconciliation of expenditure incurred vis-à-vis Invoices raised on IRFC.**
Expenditure booked by IRFC under respective EBR Source of Fund (EBR-S, EBR-IF and EBR-IRFC (Bulk Order)) as per the data available with Indian Railways and summarized amount of Tax Invoices raised on IRFC during FY 2020-21 shows that against the total expenditure of Rs. 1,07,261 crore, Invoices amounting to only Rs. 73,811 crore are available in IPAS and GST Manual Utility, including the invoices raised by RVNL ("Annexure-1"). There is thus a difference of Rs 33,450 crore which have not been invoiced by the Zonal Railways/Production Units.

It may be noted that the expenditure booked under EBR-S and EBR-IF includes:

(a) Invoices raised by vendors/suppliers directly in the name of IRFC on the basis of novation agreement or otherwise for which Indian Railway is paying authority as agent of IRFC.
(b) Invoices raised by IR directly on IRFC, back to back, on the basis of payment made to vendor, where novation agreement is not in place, and
(c) Invoices raised by IR on IRFC in respect of other expenditure booked to EBR-S viz., Establishment Charges, etc.

Zonal Railways and Production Units may reconcile the expenditure booked under EBR(IF) and EBR(S) (Annexure 1). Similar reconciliation is required in respect of expenditure booked under EBR-IRFC (Bulk Order) (Annexure 2).

All the Zonal Railways and Production Units are requested to do an urgent review of the statement placed at "Annexure-1" and analyse reasons with respect to huge gaps arising on account of expenditure booked vis-à-vis the invoices raised under the above 3 projects. It may be ensured that either vendor's invoices are made available to IRFC or else the Tax Invoices are raised on IRFC by the concerned Railways/ Units*. Assistance of GST Consultants engaged by each of the Zonal Railways may be taken in this regard.

As IRFC's Audit of the Books of Accounts is in final stages, this activity needs to be completed latest by 6th August 2021. It may also be noted that the GST annual return (i.e. FORM GSTR – 9) of IRFC for FY 2020-21 is to be finalised by September 2021. Hence, it becomes more important that all invoices for FY 2020-21 are raised and accounted for at the earliest possible.

*** Note:**
At the time of issuing invoices to IRFC, the following shall be duly ensured by concerned Railways/Units:

- As invoices for EBR-S was required to be raised between 1st January 2021 and 31st March 2021 as per the time of supply, there will now be a delay in issuance of invoices. Further, we understand that there may also be a delay in issuance of invoices for EBR-IF and EBR-IRFC (Bulk Order).
- On account of delay in issuance of invoices, interest @ 18% p.a. needs to be discharged on the net outward tax liability of Indian Railways, with the concurrence of associate finance by following the laid down rules. Such interest shall only be payable with respect to invoices raised by concerned Railways/Units to IRFC under "forward charge".
- Further, with respect to invoices under EBR-S concerning supply of services supplied to IRFC, GST shall be levied at the rate of 18 % under SAC 999799 under "reverse charge" mechanism.
- It may be ensured that there is no repetition of invoices already raised by concerned Railways/Units to IRFC i.e. there shall not be any duplication of new/fresh invoices vis-à-vis old invoices. Further, care needs to be taken to ensure that there is no duplication in invoices raised from IPAS and GST Manual Utility.

In addition to aforesaid, the following is also required to be done by all the concerned Railways:

- In respect of **invoices and credit and debit notes for supply of services under reverse charge raised by Railways to IRFC under the EBR-S model**, the GST Rate should have been 18% and not differential rates such as 5%,12% etc.

In this regard, amendment needs to be made in FORM GSTR-1 under "Table 9A-Amended B2B Invoices" for all the invoices raised till date and under "Table 9C-Amended Credit/Debit Notes (Registered)" for all credit and debit notes pertaining to such reverse charge services wherein differential GST rates have been levied by updating/correcting GST rate to 18%.Such amendment needs to be done in FORM GSTR-1 for tax period of July 2021. Also, it is pertinent to note that any amendment with respect to invoices of FY 2020-21 shall be done on or before September 2021 as GST portal does not allow any amendment after the filing of return for the tax period of September.

- Further, it has been noted by some Railways that **an invoice in respect of similar supply but with different invoice number has been raised under IPAS and GST Manual Utility** under EBR-S model thereby resulting in duplication. This has resulted in deposition of excess tax liability with respect to the same invoice/supply. In this regard, all Railways are hereby advised to review such duplication of invoices by comparing data for invoices raised under IPAS and GST Manual Utility and thereafter, Credit Notes dated August 2021 need to be issued as correction for those invoices wherein such duplication has been observed and accordingly be reported under respective returns under GST.

(b) Lower/No Deduction of Income Tax Certificate (LTDC) Railway Board's letter issued vide RBA No. 025/2021 dated 30th March, 2021 may be connected, wherein it was brought out that some of the Zonal Railways and Production Units have either not deducted TDS or deducted IT lower than the prescribed rate in some of the cases, on the authority of certificates issued by Income Tax Authorities. It is requested that these certificates may be shared with GM/Finance, IRFC at their email id gmirfc@gmail.comimmediately. It is presumed that action as envisaged in RBA No. 025/2021 dated 30th March 2021 has been done. In respect of FY 2020-2021, LTDC may be sent urgently to GM/Finance/IRFC as mentioned above.

This may kindly be treated as MOST URGENT.

Roopa 3/8/2021

(Roopa Srinivasan)
Principal Executive Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

a) PFAs, All Zonal Railways/ PUs;
b) MD/CRIS, GM/ AIMS/CRIS, GM/GST/CRIS
c) MD/IRFC, GM/IRFC
d) EDFB and JDF/RM, Railway Board

Annexure-1

Reconciliation of Expenditure with Invoices raised/issued by Indian Railways and other suppliers (For EBR-IF & EBR-S)

Period: FY 2020-2021

Amount (in INR Crores)

Railways	Statement of Expenditure									Amount of Invoices raised by Indian Railways to IRFC- Home Rly- exp booked under final heads	Amount of Invoices raised by Indian Railways to IRFC-In r/o exp transferred to Other Rly	Amount of Invoices raised by Suppliers (other than Indian Railways) to IRFC)	Amount of Invoices raised by RVNL etc to IRFC)	Pending Invoices to be raised to IRFC
	EBR-IF			EBR-S			Total							
	Debit	Credit	Net	Debit	Credit	Net	Debit	Credit	Net					
CR	1,319	-	1,319	3,496	-	3,496	4,815	-	4,815					
ER	545	1	544	1,680	3	1,677	2,225	3	2,221					
ECR	3,219	46	3,173	2,907	0	2,907	6,127	.46	6,080					
ECoR	1,006	2	1,004	1,991	-	1,991	2,996	2	2,995					
NR	1,304	-	1,304	11,039	-	11,039	12,343	-	12,343					
NCR	1,341	-	1,341	2,017	-	2,017	3,358	-	3,358					
NER	1,581	-	1,581	2,190	-	2,190	3,771	-	3,771					
NFR	1,535	5	1,530	3,826	-	3,826	5,361	5	5,356					
NWR	561	-1	562	2,109	-	2,109	2,670	-1	2,671					
SR	1,282	-	1,282	2,204	-	2,204	3,486	-	3,486					
SCR	3,285	-0	3,285	3,672	0	3,672	6,957	-0	6,957					
SER	938	1	937	1,925	-7	1,932	2,863	-6	2,869					
SECR	859	1	858	1,791	0	1,790	2,650	1	2,648					
SWR	479	2	477	1,573	0	1,573	2,052	2	2,050					
WR	809	-	809	4,638	-	4,638	5,447	-	5,447					
WCR	1,496	12	1,484	2,046	32	2,014	3,542	44	3,498					
CLW	-	-	-	33	-	33	33	-	33					
DLW	-	-	-	7	-	7	7	-	7					
ICF	-	-	-	125	-	125	125	-	125					
DMW	-	-	-	23	-	23	23	-	23					
RWF	-	-	-	50	-	50	50	-	50					
RCF	-	-	-	71	-	71	71	-	71					
RE	6,145	-	6,145	3	-	3	6,147	-	6,147					
MR	-	-	-	959	-	959	959	-	959					
MTPC	-	-	-	13	0	13	13	0	13					
RB	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
RCF RB	-	-	-	144	-	144	144	-	144					
RWP-Bela	-	-	-	13	-	13	13	-	13					
Total	27,704	68	27,635	50,544	29	50,515	78,248	97	78,151					

Col K will include expenditure where entire amount is booked to final head by home railway(including transfer divisional)

Col K will include expenditure transferred to other railway

Summary:

Rs in cr

Fund Source	Expenditure	Invoices raised by IR	Invoices raised by other suppliers	Invoices raised by RVNL etc
EBR-S	27,635			
EBR-IF	50,515			
EBR-IRFC (Bulk Order)	29,110			
Total	1,07,261	35,790	22,806	15,215

Annexure-2

Reconciliation of Expenditure with invoices raised/issued by Indian Railways and other suppliers (For EBR-B.O.)

Period: FY 2020-2021

Amount (in INR Crores)

Railways	Statement of Expenditure EBR-IRFC(Bulk Order)			Amount of invoices raised by Indian Railways to IRFC	Amount of invoices raised by Vendor to IRFC, if any (cases covered under novation agreement)	Pending invoices to be raised to IRFC
	Debit	Credit	Net			
CR	1,208	-	1,208			
ER	1,511	-	1,511			
ECR	1,484	-	1,484			
ECoR	1,384	-	1,384			
NR	7,044	-	7,044			
NCR	1,187	-	1,187			
NER	366	-	366			
NFR	403	-	403			
NWR	1,299	-	1,299			
SR	1,306	-	1,306			
SCR	1,611	-	1,611			
SER	2,595	-	2,595			
SECR	910	-0	910			
SWR	1,065	-	1,065			
WR	4,190	-	4,190			
WCR	1,342	-	1,342			
CLW	-	-	-			
DLW	-	-	-			
ICF	-	-	-			
DMW	-	-	-			
RWF	-	-	-			
RCF	-	-	-			
RE	-	-	-			
MR	204	-	204			
MTPC			-			
RB			-			
RCF RB			-			
RWP-Bela			-			
Total	29,110	-0	29,110			

The invoices shall be issued by Production Units/ Procuring Railways

Allottee Railways will not issue invoices again on receiving bulk order debits

भारत सरकार/(Government of India)

रेल मंत्रालय/(Ministry of Railways)

रेलवे बोर्ड(Railway Board)

आरबीए सं. 39/2021

जीएसटी परिपत्र सं. 22/2021

जीएसटी मामला/अति तत्काल

सं. 2018/एसी-II/1/57 दिनांक 03 अगस्त, 2021

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

<u>विषय : ईबीआर(एस) और ईबीआर(आईएफ) के अंतर्गत आईआरएफसी को दिए गए ब्यौरे का किए गए व्यय के साथ मिलान और अन्य संबंधित मुद्दे।</u>

<u>संदर्भ : (1) आरबीए सं.003/2021/जीएसटी परिपत्र सं. 002/2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021</u>

<u>(2) आरबीए सं.2/2021 दिनांक 05 जनवरी 2021</u>

रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्वोक्त संदर्भाधीन पत्रों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ रेलवे के पूंजी व्यय का वित्तपोषण करने के लिए नए निधि स्त्रोत अर्थात् ईबीआर(एस) के विषय के बारे में उसकी लेखा प्रक्रिया के साथ एक बार के प्रयोग के लिए चिह्नांकित किया गया था। यह व्यवस्था वित्त व्यवस्था की अन्य मौजूदा विधियों अर्थात् ईबीआर-थोक आदेश और ईबीआर-आईएफ के अतिरिक्त थी। रेलों को इन विवरणों वाले विधिवत् बीजक आईआरएफसी को अग्रेषित करने थे।

इस संबंध में आईआरएफसी ने सूचित किया है कि आईआरएफसी द्वारा उपलब्ध कराए गए, ईबीआर निधियों के अंतर्गत बुक किए गए व्यय और रेलों/वेंडरों से प्राप्त बीजकों में बहुत अधिक अंतर है। अतः, प्रस्तुत किए जाने वाले सभी बीजक आईआरएफसी के जीएसटीआर-2ए में दर्शाए नहीं जा रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा निम्नलिखित विसंगतियों का तुरंत समाधान किया जाए :-

(क) <u>आईआरएफसी पर प्रस्तुत किए गए बीजकों का किए गए व्यय के साथ मिलान।</u>

भारतीय रेल के पास उपलब्ध डाटा के अनुसार आईआरएफसी द्वारा निधि के संबंधित ईबीआर स्त्रोत (ईबीआर-एस, ईबीआर-आईएफ और ईबीआर-आईआरएफसी(थोक आदेश)) के अंतर्गत बुक किए गए व्यय और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आईआरएफसी पर

प्रस्तुत किए गए कर बीजकों की सारांश राशि दर्शाती है कि आईपीएएस और जीएसटी मैन्यूअल यूटिलिटी में आरवीएनल ("अनुलग्नक-1") द्वारा प्रस्तुत बीजकों सहित, 1,07.261 करोड़ रु. के कुल व्यय पर केवल 73,811 करोड़ रु. की राशि के बीजक ही उपलब्ध हैं। इसलिए, यहां 33,450 करोड़ रु. का अंतर है, जिसका क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा बीजकीकरण नहीं किया गया है।

यह नोट किया जाए कि ईबीआर-एस और ईबीआर-आईएफ के अंतर्गत बुक किए गए व्ययों में निम्नलिखित शामिल है :

(क) वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नवीनता करार के आधार पर सीधे आईआरएफसी के नाम पर प्रस्तुत किए गए बीजक या अन्यथा जिनके लिए भारतीय रेल आईआरएफसी के एजेंट के रूप में अदायगी प्राधिकारी है|

(ख) जहां नवीनता करार नहीं है, भारतीय रेल द्वारा वेंडर को किए गए भुगतान के आधार पर सीधे आईआरएफसी के नाम पर एक के बाद एक प्रस्तुत किए गए बीजक, और

(ग) ईबीआर-एस पर बुक किए गए अन्य व्यय के संबंध में आईआरएफसी पर भारतीय रेल द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक अर्थात् स्थापना प्रभार आदि।

क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां ईबीआर-आईएफ और ईबीआर-एस के अंतर्गत बुक किए गए व्ययों का मिलान कर सकती हैं (अनुलग्नक 1)। ईबीआर-आईआरएफसी (थोक आदेश) के अंतर्गत बुक किए गए व्यय के संबंध में भी इसी प्रकार का मिलान अपेक्षित होगा (अनुलग्नक 2)।

<u>सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों से अनुरोध है कि वे "अनुलग्नक-1" पर दिए गए विवरण की तुरंत समीक्षा करें और बुक किए गए व्यय की तुलना में उपरोक्त 3 परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए बीजकों में बड़े अंतर संबंधी कारणों का विश्लेषण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि या तो आईआरएफसी को वेंडरों के बीजक उपलब्ध कराए जाएं अथवा संबंधित रेलों/इकाइयों द्वारा आईआरएफसी पर कर बीजक प्रस्तुत किए जाएं। इस संबंध में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों द्वारा लगाए गए जीएसटी परामर्शदाताओं की सहायता ली जा सकती है।</u>

<u>जैसा कि, आईआरएफसी की लेखा बहियों की लेखापरीक्षा अंतिम चरणों में है, इस गतिविधि को 6 अगस्त, 2021 तक पूरा किए जाने की आवश्यकता है ।</u> यह भी नोट किया जाए कि वित्त वर्ष 2020-21 की आईआरएफसी वार्षिक जीएसटी रिटर्न (अर्थात् फॉर्म जीएसटीआर-9) को सितंबर 2021 तक अंतिम रूप दिया जाना है। अत:, यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सभी बीजक जहां तक संभव हो, जल्द से जल्द प्रस्तुत किए जाएं और उनकी गणना की जाए।

'नोट:

आईआरएफसी को बीजक जारी करते समय, संबंधित रेलों/इकाइयों द्वारा निम्नलिखित को विधिवत् रूप से सुनिश्चित किया जाए :

- जैसा कि ईबीआर-एस के लिए बीजकों को आपूर्ति के समय के अनुसार 1 जनवरी, 2021 और 31 मार्च, 2021 के बीच प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे, परंतु अब इन बीजकों को जारी करने में विलंब होगा। इसके अतिरिक्त, यह मान लें कि ईबीआर-आईएफ और ईबीआर-आईआरएफसी (थोक आदेश) के लिए बीजकों को जारी करने में भी विलंब होगा।
- बीजकों के जारी होने में विलंब के कारण, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सह वित्त की सहमति से भारतीय रेल की निवल जावक कर देयता को 18% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज़ लगाना होगा। ऐसा ब्याज़ "अग्रिम प्रभार" के अंतर्गत आईआरएअफसी को केवल संबंधित रेलों/इकाइयों द्वारा प्रस्तुत बीजकों के संबंध में देय होगा।
- इसके अलावा, आईआरएफसी को आपूर्ति की गई सेवाओं के संबंध में ईबीआर-एस के अंतर्गत बीजकों के संबंध में, "प्रतिप्रभार" क्रियाविधि के तहत एसएसी 999799 के अंतर्गत 18% की दर पर जीएसटी लगाया जाएगा।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित रेलों/इकाइयों द्वारा आईआरएफसी को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके बीजकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात् नए बीजकों की पुराने बीजकों के साथ द्विरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आईपीएएस और जीएसटी मैन्यूअल यूटिलिटी से प्रस्तुत किए गए बीजकों में कोई द्विरावृत्ति न हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी संबंधित रेलों द्वारा निम्नलिखित किया जाना अपेक्षित है :

- ईबीआर-एस मॉडल के अंतर्गत आईआरएफसी को रेलवे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिप्रभार के अंतर्गत आपूर्ति की गई सेवाओं के लिए बीजकों, क्रेडिट और डेबिट नोटों के संबंध में, जीएसटी दर 5%, 12% आदि जैसी विभेदक दरें न होकर 18% होनी चाहिए ।
 इस संबंध में फॉर्म जीएसटीआर-1 में "तालिका 9ए-संशोधित बी2बी बीजक" के अंतर्गत अब तक प्रस्तुत किए गए सभी बीजकों और "तालिका 9सी-संशोधित क्रेडिट/डेबिट नोट(पंजीकृत)" के अंतर्गत ऐसी प्रतिप्रभार सेवाओं से संबद्ध सभी क्रेडिट और डेबिट नोट जिनमें विभेदक जीएसटी दरें 18% की जीएसटी दर पर अद्यतन/ठीक करके लगाई गई हैं, में संशोधन की आवश्यकता होगी। ऐसे संशोधनों को जुलाई 2021 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, यह नोट करना उपयुक्त होगा कि वित्त वर्ष 2020-21 के बीजकों के संबंध में कोई भी संशोधन सितंबर 2021 तक या उससे

पहले किए जाएं क्योंकि सितंबर की कर अवधि के लिए रिटर्न फाइल हो जाने के बाद जीएसटी पोर्टल पर किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

- इसके अलावा, कुछ रेलों द्वारा यह नोट किया गया है कि ईबीआर-एस मॉडल के अंतर्गत आईपीएएस और जीएसटी मैन्यूअल यूटिलिटी के अंतर्गत समान आपूर्ति के संबंध में बीजक लेकिन अलग बीजक संख्या के साथ प्रस्तुत किया गया जिसके कारण द्विरावृत्ति हुई। इसके फलस्वरूप एक ही बीजक/सप्लाई के संबंध में अधिक कर देयता का निक्षेपण हो जाएगा। इस संबंध में, सभी रेलों को एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि आईपीएएस और जीएसटी मैन्यूअल यूटिलिटी के अंतर्गत प्रस्तुत बीजकों के डाटा से तुलना कर बीजकों की ऐसी द्विरावृत्ति की समीक्षा करें और तत्पश्चात् उन बीजकों की शुद्धि के रूप में अगस्त 2021 के क्रेडिट नोट जारी किए जाने की आवश्यकता होगी जिसमें ऐसी द्विरावृत्ति देखी गई है और तदनुसार जीएसटी के अंतर्गत संबंधित रिटर्नों के अंतर्गत रिपोर्ट की जाए।

(ख) आयकर प्रमाण-पत्र की न्यून/कोई कटौती नहीं (एलटीडीसी) रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2021 के आरबीए सं. 025/2021 के तहत जारी पत्र का अवलोकन करें जिसमें यह कहा गया था कि कुछ क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों ने आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के प्राधिकार पर कुछ मामलों में या तो टीडीएस नहीं काटा है या फिर निर्धारित दर से कम आयकर की कटौती की है। अनुरोध है कि इन प्रमाणपत्रों को आईआरएफसी के महाप्रबंधक/वित्त को उनकी ईमेल आईडी gmirfc@gmail.com पर तुरंत साझा करें। यह मान लिया गया है कि दिनांक 30 मार्च, 2021 के आरबीए सं. 025/2021 में उल्लिखित कार्रवाई कर ली गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के संबंध में, उपर्युक्त के अनुसार एलटीडीसी महाप्रबंधक/वित्त/आईआरएफसी को तुरंत भेजा जाए।

कृपया इसे अति तत्काल समझा जाए।

(रूपा श्रीनिवासन)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

क) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां;
ख) प्रबंध निदेशक/क्रिस, महाप्रबंधक/एआईएमएस/क्रिस, महाप्रबंधक/जीएसटी/क्रिस
ग) प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी, महाप्रबंधक/आईआरएफसी
घ) ईडीएफबी और जेडीएफ/आरएम, रेलवे बोर्ड